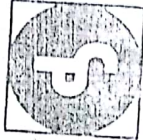


the last word
in
unfolding performance
rajasthan



राजस्थान राज्य सहकारी प्रकाशक लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE PRESS LTD.
पुस्तक भवन, जयपुर-302002 फोन: 425555
PARK SCHEME ROAD, JAIPUR-302001 Ph. 74969

Price Rs 5.00 + Tax

राजस्थान राजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
राजिस्ट्रेशन हेतु

आवृत्त-प्रपत्र



है श
राजस्थान राजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
राजिस्ट्रेशन हेतु

राजस्थान

न रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अनुसार पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

धान (जियमावली)

तथा

रख-विधान पत्र

इसका आदेशन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :

1. यह आदर्श विधान (निर्णायक) व सच विधान पत्र केवल नार्थ दार्शन के लिए है।
किसी के उद्देश्य व कामकाज के अनुसार इसके अनुसृत परिवर्तन किया जा सकता
है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रत्येक धारिणी में सुविधा पर संस्था के अनुरूप धारो या बंधन जा सकते हैं पर के
नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है।
सुविधा के बिना कमाल 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन प्रमाणिकारिणी के हस्ताक्षर करवाना जाना
आवश्यक है।
6. सच विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रत्येक धारिणी का विवरण ही अंकित
करना है तथा कम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम
अंकित कर हस्ताक्षर करवाने वाले यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 2 सदस्यों
पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. सच विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करवाने। साक्षीपत्र संस्था के
सदस्य नहीं होने चाहिये।

सच

संस्था

8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करे

धारा 20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रा
पूव प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएं, संनिक, अना
या ललित कलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित
उपयोग या जनता के पुस्तकालय या बाचनल
लिये या सार्वजनिक अजामयधरो तथा चिपकारो ए
को स्थापना या निबंधन के लिये स्थापित तस्वाये, पाठ्या
मानिक और दार्शनिक आविष्कारो, उपकरणो या डिजाइनो के लिये स्था
संस्थाये।



संस्था/संस्थाओं के नामों की सूची
संस्था/संस्थाओं के नामों की सूची
संस्था/संस्थाओं के नामों की सूची

3. संस्था के उद्देश्य - इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -
 1. राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा निम्नलिखित 10 नव शिक्षागर्जि
यार्मे एक भेदभाव के बालकों में शिक्षा का प्रसार करना है।
 2. मोटेसरी पद्धति के आधार पर प्रीमियरी शिक्षा को लागू करना है।
मनोकेन्द्रित आधार पर बालकों के व्यक्तित्व का
 3. सर्वाधिक विकास करना है।
 4. बालकों में स्वावलम्बन एवं आत्मशासन को
जागृत करना है।
 5. छात्र छात्राओं को जनरल उपयोगी बहुमुखी शिक्षा
देना एवं वैतनिक कर्तव्य शिक्षा का प्रसार करना।

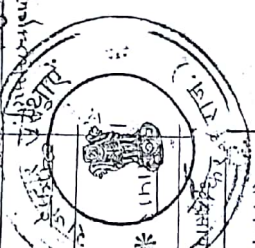


राजस्थान
 राजस्थान के लोग
 राजस्थान के लोग
 राजस्थान के लोग

राजस्थान
 राजस्थान के लोग

राजस्थान के लोग
 राजस्थान के लोग

राजस्थान
 राजस्थान के लोग



क्र.सं.	नाम	पद	विवरण
1.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
2.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
3.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
4.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
5.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
6.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
7.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
8.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
9.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
10.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य
11.	श्री. राजेश कुमार	मुख्य	मुख्य

राजस्थान
 राजस्थान के लोग

राजस्थान
 राजस्थान के लोग

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	प्रमाणित
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...



संयुक्त प्रशासनिक विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
नई दिल्ली-110002

1-संस्था का नाम और पता : संस्था का नाम

2-संस्था की स्थापना : दिनांक

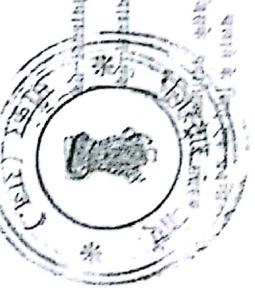
3-संस्था के उद्देश्य और कार्य : संस्था के उद्देश्य और कार्य

4-संस्था के 1/3 सदस्य : संस्था के 1/3 सदस्य

14

संस्था का नाम

संस्था का नाम



संयुक्त प्रशासनिक विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
नई दिल्ली-110002

संस्था का नाम : संस्था का नाम

12-संस्था के सदस्यों का नाम : संस्था के सदस्यों का नाम

1-संस्था के अध्यक्ष का नाम : संस्था के अध्यक्ष का नाम

2-संस्था के सदस्यों का नाम : संस्था के सदस्यों का नाम

13-संस्था के कार्यकारी के नाम : संस्था के कार्यकारी के नाम

1-संस्था के अध्यक्ष का नाम : संस्था के अध्यक्ष का नाम

2-संस्था के सदस्यों का नाम : संस्था के सदस्यों का नाम

15

संस्था का नाम

संस्था का नाम



3-संस्था को सम्पत्ति की

4-वैधानिक कर्मचारियों की

5-बांधारण, सभा द्वारा पारित

6-कर्म व्ययस्था हेतु उप सामितियों को

7-अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हैं, करना।

14. कार्यकारिणी की

1-कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अग्रिम/मंजूर द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2-बैठक का कोरम प्रत्येककारिणी को कुल संस्था के आधे से अधिक होगा।

3-बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4-कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय कहीं होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों

16

17

18



संस्था को प्रत्येककारिणी के अधिकार प्रकाशित हैं :-

1-अग्रिम

1-बैठकों की अध्यक्षता करना।

2-मात वरावर आने पर निर्णायक मत देना।

3-बैठकें आहूत करना।

4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1-अग्रिम की अनुपस्थिति में अग्रिम के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2-प्रत्येककारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

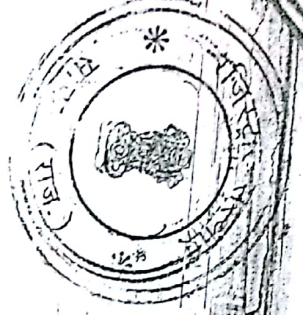
3-मन्त्री :

1-बैठकें आहूत करना।

2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

19

20



3-आय-व्यय पर नियंत्रण

4-वैलनिक कर्मचारियों पर व यात्रा बिल आदि पास

5-संस्था का प्रतिनिधित्व संस्था की ओर से हस्ताक्षर

6-एन व्यवहार करना

7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु चौकाने आवश्यक हों

4-उपमन्त्रों :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना

2-अन्य कार्य जो प्रवक्ताकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें

5-कोषाध्यक्ष :

1-वार्धिक लेखा-जोखा तैयार करना

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना

3-चरदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना

1-चरदा

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा

अमर

18.5.18

काषाध्यक्ष

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

: संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुद्रा स्वीकृत कर सकेंगे—

1-अध्यक्ष 500/-

2-मन्त्री 200/-

3-कोषाध्यक्ष 100/-

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रवक्ताकारिणी से कराया चला आवश्यक होगा। अधिकृत की नियुक्ति प्रवक्ताकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोड़ी का वार्धिक अंकेक्षण करना जायेगा।

19. संस्थान के विधान में परिवर्तन

: संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण मुद्दा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिद्वर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान विधानसभा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

अमर

18.5.18

काषाध्यक्ष





मदि संस्था का विवरण अ.
वस म अचल सम्पत्ति
हस्तान्तरित करदी जावेगी
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रार
13 व 14 के अनुरूप होगी।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूरा
हारा दिये गये सुझावों की पूर्ति को जांचें।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) संस्था की सही व
सच्ची प्रतिनिधि है।

- (प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था)
- (हस्ताक्षर करने वाले के)
- (हस्ताक्षर करने वाले के)
- (नकल प्रेषित करने के दिनांक)
- (नकल देने का दिनांक)

रजिस्ट्रार संस्थाएं
मन्त्री

कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार संस्थाएं, राज.

अध्यक्ष

अध्यक्ष

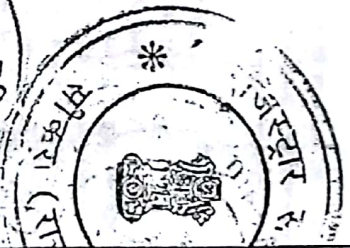
अध्यक्ष

विधान निदमावली

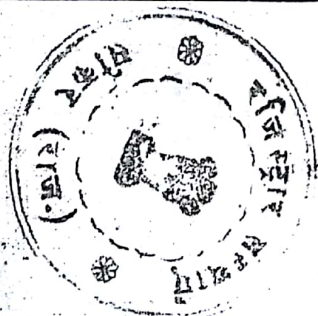
ερμηνεύς

नाम संस्था: सुभाष विद्या मन्दिर समिति, सेवद बड़ी

विधान नियमावली

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीयन विधान का नियम	संशोधित नया नियम
		 	19. प्राकृतिक आणखों जैसे पुरुष, माद, सुधा, अमल, अमिनकाद, दुर्घटनाएँ एवं जान-माल का नुकसान करने वाली किसी भी घटनाओं के भीषणों को सहायता एवं सेवा उपलब्ध करवाना तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को अधिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 20. व्यावहारिक-प्राथमिकी, सामाजिक कार्य, संयुक्त वन प्रबंध, पर्यावरण-प्रदूषण रोकथाम पञ्च-संसाधन एवं आनखों एवं अन्तर्गत सेक्टरों तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को अधिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 21. प्राणी-विकास एवं कृषि के क्षेत्र में अंतर भूमि विकास एवं प्रबंध, अनुक्रम उपलब्ध करवाना, भूमि अधिकार, भूमि व अंतर अधिक सहायता एवं संसाधन, स्वयंसेवाएं कम सहायता एवं प्राणीय आवास कृषि-मार्केटिंग सिचार्ड आदि के बारे में सुविधाएं एवं कार्य करना एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को अधिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 22. निमित्त सेवा में कन्सल्टेंसी, शोध, प्रकाशन, सूचना प्रसार, नेटवर्किंग आदि क्षेत्र का कार्य करना। 23. अन्तर्क्रमिक शिक्षा, प्रोड, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा जगत्कला सहायता, बच्चों के स्वशिक्षा विकास मार्गदर्शिका से अधिक सहायता एवं संसाधन, संसाधन व सेवाएं उपलब्ध करवाना जो सहायता को सेवा व विकास के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करना है। 24. बच्चों के वीर विकास के लिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से, माध्यमिक सेक्टर विद्यालय, महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबंध करना और रख-रखाव करना। 25. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वैदिक शिक्षा, जगत्सामाजिक पाठ्यक्रम आदि के प्रसार एवं उन्मूलन के लिए महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मेडीकल महाविद्यालय सहित नर्सिंग कॉलेजों, पशुपालन आदि के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। 27. रक्षा, शोधित, कम्प्यूटर, काइन आर्ट, विज्ञान, संगीत नृत्य, प्रोड, योग आदी शिक्षा और व्यक्तिगत विषयों में प्रशिक्षण संस्थानों का विकास करना और प्रबंध करना। 28. हिन्दी भाषा की प्रोन्नती के लिए विभिन्न कार्यक्रम शाय में लेना। इनके अन्तर्गत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-छात्रों के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, हिन्दी में लेख सदन प्रत्येक ज्ञान विद्यालय, भाषा विद्यालय, साहित्य, अलोचना, सफल, संस्कृति तथा अन्य किसी भाषा से हिन्दी में अनुवादित पुस्तकों का प्रकाशन एवं रख रखाव करना कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन सम्मान सम्मोह आदि सहित, वे सभी कार्यक्रम शाय में जो हिन्दी भाषा के उत्थान, उन्मूलन व प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी हों। 29. छात्रों और सहित के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, शिक्षिता सहायता, परीचक्षण, पुस्तकालय प्रयोगशालाएं, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान तरगताल और संपद सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

नाम संस्था: सुभाष विद्या मन्दिर समिति, सेवद बड़ी
विधान नियमावली

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीयन विधान का नियम	संशोधित नया नियम
			30 संस्थान के कार्य, लक्ष्य और उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित कर्मचार, कर्मकार, विधि विशेषज्ञ, प्रबन्धकों एवं एजेंटों को काम में लगाना नियोजित करना या किराये पर लेना और उसकी मजदूरी, वेतन, अवसुधवृत्ति या फौज का भुगतान करना। 31 विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना। 32 विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना। 33 संस्थानों, निगमितों एवं गैर निगमित विभागों एवं विभागीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिगत आदि से कर्जा, अनुदान, वत्ता, केन्द्र एवं प्रत्यक्ष सरकार के वित्तित विभागों एवं विभागीय संस्थानों, छात्री, ग्रामोद्योग आयोग, अन्य गैर सरकारी संस्थानों, निगमितों एवं गैर निगमित विभागों एवं विभागीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिगत आदि से कर्जा, अनुदान, वत्ता, प्राप्त करना। 34 संस्थानों, निगमितों एवं गैर निगमित विभागों एवं विभागीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिगत आदि से कर्जा, अनुदान, वत्ता, प्राप्त करना। 35 संस्थानों, निगमितों एवं गैर निगमित विभागों एवं विभागीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिगत आदि से कर्जा, अनुदान, वत्ता, प्राप्त करना।

नाम संस्था: सुभाष विद्या मन्दिर समिति, सेवद बड़ी
विधान नियमावली

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीयन विधान का नियम	संशोधित नया नियम
		36. संस्थानों अपना संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयां/परियोजनाओं की अब तक की अर्जित और अब से वाद की सम्पूर्ण आय, अर्जन/ अचल सम्पत्तियों का स्वामित्व व एकाधिकार संस्थान का ही रहेगा। इन सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को कप /विक्रय, अथवा ऋण अथवा आर्थिक सहायता हेतु बंधक/रहन रखने एवं तत्सम्बन्धी कस्तावेजों के निस्सारन सम्बन्धी अधिकार संस्थान द्वारा-कार्यकारिणी की सभा में अधिकृत व्यक्ति में ही निहित होंगे, कि प्रत्येक सदस्य में। 37. संस्थानों द्वारा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयां/परियोजनाओं की सम्पूर्ण आय, अर्जन, किरा/अचल सम्पत्तियों केवल संस्थान के विधान में दिये गये लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रोत्साहन में प्रयुक्त की जायेगी और लगायी जायेगी और उसके/उनके किसी भी भाग का, संस्थान के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के भावस्व से मांग/क्रेडिट वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभाना, बोनस, लाभाना या किसी भी रीति से भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्थान के किसी भी सदस्य का संस्थान के किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत अधिकार/ हक नहीं रहेगा अथवा 38. संस्थान की सदस्यता के कारण कोई लाभ नहीं कमायेगा। 39. सामूहिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की सुलभता कर बच्चों में राष्ट्रियता की भावना विकसित करना। 39.1. बच्चों में देश प्रेमसमान एवं मातृ भूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना एवं वैयक्तिक/सामूहिक भावना उत्पन्न करना। 40.1. बच्चों में धर्म, जाति, भाषा और साम्प्रदायिकता से उत्तर उठने की भावना उत्पन्न करना। 41. छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवास का संचालन करना अनु-जाति/अनु-जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।	संशोधित नया नियम 36. संस्थानों अपना संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयां/परियोजनाओं की अब तक की अर्जित और अब से वाद की सम्पूर्ण आय, अर्जन/ अचल सम्पत्तियों का स्वामित्व व एकाधिकार संस्थान का ही रहेगा। इन सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को कप /विक्रय, अथवा ऋण अथवा आर्थिक सहायता हेतु बंधक/रहन रखने एवं तत्सम्बन्धी कस्तावेजों के निस्सारन सम्बन्धी अधिकार संस्थान द्वारा-कार्यकारिणी की सभा में अधिकृत व्यक्ति में ही निहित होंगे, कि प्रत्येक सदस्य में। 37. संस्थानों द्वारा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयां/परियोजनाओं की सम्पूर्ण आय, अर्जन, किरा/अचल सम्पत्तियों केवल संस्थान के विधान में दिये गये लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रोत्साहन में प्रयुक्त की जायेगी और लगायी जायेगी और उसके/उनके किसी भी भाग का, संस्थान के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के भावस्व से मांग/क्रेडिट वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभाना, बोनस, लाभाना या किसी भी रीति से भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्थान के किसी भी सदस्य का संस्थान के किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत अधिकार/ हक नहीं रहेगा अथवा 38. संस्थान की सदस्यता के कारण कोई लाभ नहीं कमायेगा। 39. सामूहिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की सुलभता कर बच्चों में राष्ट्रियता की भावना विकसित करना। 39.1. बच्चों में देश प्रेमसमान एवं मातृ भूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना एवं वैयक्तिक/सामूहिक भावना उत्पन्न करना। 40.1. बच्चों में धर्म, जाति, भाषा और साम्प्रदायिकता से उत्तर उठने की भावना उत्पन्न करना। 41. छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवास का संचालन करना अनु-जाति/अनु-जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।

रजिस्ट्रार संस्था में सीकर

रजिस्ट्रार संस्था में सीकर

रजिस्ट्रार संस्था में सीकर

संशोधित नया नियम

सुभाष विद्या मन्दिर समिति

सुभाष विद्या मन्दिर समिति

सेवद बड़ी (सीकर)

सेवद बड़ी (सीकर)

सेवद बड़ी (सीकर)